

DIRECTORATE OF PROHIBITION
 GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
 DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
 1, CANNING LANE, K.G. MARG: NEW DELHI-110001

F.No 9(8)/16/dop/GIA/2019-20/ 282-83 Dated 5/7/19

The Director
 Director of Information and Publicity
 Govt. of NCT of Delhi, Old Sectt, Delhi.

Subject: Release of advertisement "Notice" regarding inviting application for grant in aid.

Sir,

Please publish the enclosed "Notice" regarding inviting application for grant in aid to NGO's in the size of 64 cm (8cm x 8cm) at the approved rates of DAVP, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India in the following newspapers :-

Language	Newspaper	DAVP rates	Size in cms	Estimated cost
English	Hindustan Times	344.87	(8x8)=64 cm	22072
English	Times of India	333.48	(8x8)=64 cm	21343
Hindi	Nav Bharat Times	209.69	(8x8)=64 cm	13420
Hindi	Hindustan	108.10	(8x8)=64 cm	6918
Urdu	Humara samaj	20.68	(8x8)=64 cm	1324
Punjabi	Jan Ekta	20.68	(8x8)=64 cm	1324
	Total			66401/-

The same may kindly be published on /upto 8th July 2019

This issues with the prior approval of the Director, Department of Women & Child Development GNCTD.

Encl. : Advertisement Material

Yours faithfully,

F.No 9(8)/16/dop/GIA/2019-20/ 282-83 Dated 5/7/19
 Joint Director (Proh)

Copy To:

1. The System Analyst, Computer Cell, 1A Pt. Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg, New Delhi-110001, for uploading the advertisement on the website of the Department.

Joint Director (Proh)

DIRECTORATE OF PROHIBITION
DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
Pandit Ravi Shanker Shukla Lane: K.G.Marg: New Delhi-110001
Ph. 23385616, 23384828

NOTICE

INVITING APPLICATIONS FOR GRANT-IN-AID TO NGOS & VOLUNTARY ORGANIZATIONS

Applications for the year 2019-20 from eligible NGOs & voluntary organizations are invited for the following scheme for Assistance of Grant-in-Aid of the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India which are processed by the Directorate of Prohibition, GNT of Delhi. Details of scheme, instructions and procedure are also available on departmental website i.e. www.wcddei.in.

1. Scheme for Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance(Drug) Abuse and for social defence services with following components :-

- a. Awareness and preventive Education
- b. Drug Awareness and counseling center.
- c. Integrated Rehabilitation Centre for Addicts (IRCA)
- d. Workplace prevention programme (WPP)
- e. De-addiction camps
- f. NGO forum for drug abuse prevention
- g. Innovative Intervention of strengthen community based rehabilitation.
- h. Technical Exchange and Manpower development

i. Surveys, Studies, Evaluation and Research on the subject covered under the scheme

Last date for submission of application is 08/08/2019 upto 5.00 P.M. for submission of hard copies to Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, GNTD and for uploading of soft copy on Ministry of Social Justice and Empowerment Govt. of India website (ngocratsje.gov.in)

Eligible applicant NGOs & Voluntary Organizations should submit hard copy of their submitted on-line application, complete in all respect with a covering letter giving index of all Annexures alongwith page numbers only at the above mentioned address. In case change of address the same shall be displayed on the Department website i.e. www.wcddei.in.

Handwritten signature
Director
Prohibition
5/7/2019

निदेशक (अद्य-विषय)
[Signature]

पान आवेदक और सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों को पृष्ठ संख्या के साथ सभी अनुलग्नक का इंडेक्स दर्शाते हुए कवरिंग लेटर सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण अपना आनादन आवेदन जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसकी दो हार्ड कॉपी सभी प्रतिलिपियों सहित उपरोक्त पते पर दिनांक 08.08.2019 सांय 05:00 बजे तक जमा कराना है। इसी बीच निदेशालय के पते से यदि कोई परिवर्तन होता है तो यह वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

1. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
2. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
3. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
4. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
5. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
6. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
7. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
8. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
9. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।
10. मरण एवम नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना (ड्रग्स) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कवर किये गए विषयों पर सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुसंधान और अनुसंधान।

गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों हेतु अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की निम्नलिखित अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों से वर्ष 2019-20 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुदान योजनाओं के नाम व उनके बटकों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। योजना, अनुदेश एवं प्रक्रिया का विवरण विभागीय वेबसाइट www.wcdde.in पर उपलब्ध है :-

सूचना

महिला बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार
पठित रवि शंकर शुक्ल लेन: कजी मार्ग: नई दिल्ली- 110 002
फोन नं. 23385616, 23384828